कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्र संख्याः रिनु0 / सीएफओ / जीबीएन / 16(जीएन) | 100 दिनांक जनवरी 10, 2016

सेवा मे ,

प्रबन्धक / स्वामी
मैसर्स जी0के0फैशन्स प्रा0लि0
प्लाट न0–जी–204,205,ई0पी0आई0पी0कासना ,ग्रेटर नोएडा
,गौतमबुद्धनगर

विषयः प्लाट न0–जी–204, 205,ई0पी0आई0पी0कासना ग्रेटर नोएडा,जनपद–गौतमबुद्धनगर मे निर्मित मैसर्स जी0के0फैशन्स प्रा0लि0भवन का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2016–17 हेतु नवीनीकरण के सम्बन्ध मे ।

यूआईडी न02016 / 17185 / जीबीएन / गौतमबुद्धनगर / 4116

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओ का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा से कराया गया । जिनकी आख्या दिनांक 6–1–2016 अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है–

क– भवन की संरचनाः–

1–कुल भूखण्ड एरिया–2571.00 वर्गमीटर

2– भूतल कवर्ड एरिया –456.00 वर्गमीटर

3– प्रथम तल कवर्ड एरिया–410.00 वर्गमीटर

4– भवन की ऊँचाई –9.50 मीटर ।

ख– भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी– प्रश्नगत भवन का अधिभोग औद्योगिक एन0बी0सी0–2005 के अनुसार ग्रुप जी–2 मोडरेट हैजार्ड श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

गः– ढांचागत व्यवस्थायेः–

1– **पहुॅच मार्गः–** भवन के सामने 18 मीटर चौडा रोड नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया–2005 मानको के अनुसार उपलब्ध हैं। तथा प्रवेश द्वार की चौडाई 6.00 मीटर मानको के अनुसार उपलब्ध है।

3– **सैट बैकः–** भवन मे सैटबैक स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निम्नवत उपलब्ध है।

ए–अग्रभाग–9.00 मीटर ।

बी– पृष्ठभाग–4.50 मीटर

सी– पार्श्वभाग प्रथम–4.50 मीटर

डी– पार्श्वभाग द्वितीय –4.50 मीटर

4– **निकास मार्गः–** प्रश्नगत भवन मे 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौडाई 1.50 मीटर है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवल डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–**रिफ्यूज एरिया–** प्रश्नगत भवन मे रिफ्यूज एरिया वांछनीय नही है।

घ– अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाः–निर्मित भवन मे एन0बी0सी0 –2005 पार्ट–4 की तालिका –23 के सुसंगत प्राविधानो के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाई गई–

1– **होजरील** :– प्रश्नगत भवन मे होजरील उपलब्ध एवं कार्यशील दशा मे है ।

2– भूमिगत टैंकः–प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक 1,00,000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित है।

3– फायर पम्पः– प्रश्नगत भवन मे भूमिगत टैंक के पास 1620 एल0पी0एम0क्षमता के 01 अदद मेन विद्युत चालित पम्प तथा एक अदद 180 एल0पी0एम0 क्षमता का जॉकी पम्प उपलब्ध एवं कार्यशील दशा मे है।

4–वेटराइजर सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे वेटराइजर सिस्टम मानको के अनुसार उपलब्ध एवं कार्यशील दशा मे है।

5–यार्ड हाइड्रेन्टः– प्रश्नगत भवन मे यार्ड हाइड्रेन्ट उपलब्ध एवं कार्यशील दशा मे है।

6–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्युशर्स)ः–भवन मे प्राथमिक अग्निशमन उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार अधिष्ठापित एवं कार्यशील दशा मे है।

7– मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे मैन्युअली ऑपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम स्थापित एवं कार्यशील दशा मे है।

8– एग्जिट साइनेजः– प्रश्नगत भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित है।

उपरोक्त भवन मे पूर्व से स्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निम्न शर्तो के आधार पर निर्गत किया जाता है–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ को सदेव कार्यशील दशा मे बनाये रखने के लिए इसका मेन्टीनेन्स शेडयूल बनाया जाये तथा शेडयूल सिस्टम को कार्यशील दशा मे रखा जाये।

2– भवन मे स्थापित अग्नि शमन व्यस्थाओ मे किसी प्रकार की त्रुटि आने पर तत्काल नजदीकी अग्निशमन केन्द्र को सूचित किया जाये तथा त्रुटि को तत्काल ठीक कराया जाये।

3–भवन मे किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन मे स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित प्रशिक्षित स्टॉफ नियुक्त किया जाये।

5– प्रत्येक छः माह मे भवन मे कार्यरत सभी कर्मियो को मॉक ड्रिल /इमरजैंसी एवेक्युएशन ड्रिल कराई जाये ताकि किसी भी आपात स्थिति मे सभी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सके ।

6– वर्ष मे एक बार अग्नि शमन विभाग से भवन मे जीवन रक्षा फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।

7– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा उदासीनता के कारण अकार्यशील दशा मे पाये जाने पर उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

10/1/16

(सुनील कुमार सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सुनील कुमार सिंह
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर